भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 5202

जिसका उत्तर 24 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

शुरू की गई योजनाएं

5202. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ॰ हिना विजयकुमार गावीतः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त प्रत्येक योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सरकार को विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों और स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का योजना और राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का इस प्रयोजनार्थ राज्यों/संगठनों को आवंटित की गई धनराशि की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में दोषी पाए गए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): कोयला मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षो के दौरान कोई नई योजना शुरु नहीं की है।

(ख): कोयला मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें प्रत्यक्ष रुप से किसी राज्य से संबद्ध नहीं है इसलिए विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग):- पिछले चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(रु. करोड़ में)

स्कीम का नाम	उप-स्कीमों के नाम	2019-20 जून, 2019 तक)		2018-19		2017-18		2016-17		2015-16	
		ब.अ/स.अ	व्यय	ब.अ/स.अ	व्यय	ब.अ/स.अ	व्यय	ब.अ/स.अ	व्यय	ब.अ/स.अ	व्यय
कोयले और लिग्नाइट का अन्वेषण	संवर्धनात्मक अन्वेषण	100	10	150	121.005	60	55.78	50	45	115	105.05
	गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग	500	190	350	309.55	115	103.5	89.5	80.55	168	151.2
अनुसंधान एवं विकास		25	9.34	10/25	24.27	10	8.8	10	8.5	20.25	18
कोयला खानों (जनजाति उप-योजना सहित) में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचनात्मक विकास	पर्यावरण उपाय और धसान नियंत्रण	0.5	0	0.5	0	0.5	0.0531	0.5	0	0.5	0
	संरक्षण एवं सुरक्षा	4	0	59.5	59.5	200	200	80/ 170	170	170	170
	विकास एवं परिवहन अवसंरचना	130.50	43.50	140	140	299.5	299.5	70/ 180	180	75	75

(घ): कोयला मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें अनवरत स्कीमें हैं जिनको जारी रखने अथवा बंद करने के लिए समय-समय पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार समीक्षा की जाती है।

(ड़): अनुसंधान एवं विकास के तहत सभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्कीमों की कोयला मंत्रालय की स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है। इसके अलावा, कोयला खानों में संरक्षण एवं सुरक्षा और अवसंरचना विकास की स्कीम की मॉनिटरिंग कोयला नियंत्रण संगठन के माध्यम से कोयला संरक्षण एवं विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) द्वारा की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा किसी गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को कोई परियोजना/स्कीम अवार्ड नहीं की गई है।

*****